संख्या- 05/2018/05/21-3-2018-18/2016

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 29 जनवरी, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अवशेष धनराशि रुपये 20.00 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,लखनऊ द्वारा संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान के निमित्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित रुपये 40.00 लाख(रुपये चालीस लाख मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रुपये 20.00 लाख(रुपये बीस लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश दिनांक 17 अक्टूवर 2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी।उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु गैर वेतन मद में अवशेष धनराशि रुपये 20.00 लाख(रुपये बीस लाख मात्र) की द्वितीय किश्त की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त लेखा अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त अवशेष धनराशि संस्थान द्वारा समर्पित कर दी जाएगी ।

(2) इस धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

(3) उपरोक्त धनराशि का व्यय विवरण मार्च 2018 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 का उपभोग प्रमाण-पत्र एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-** 039 **लेखा शीर्षक** 2202-सामान्य शिक्षा -आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता -06-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान -मानक मद 20 - लेखा अनुदान - सामान्य (गैर -वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 की अशासकीय संख्या -ई-7-60/दस-17 दिनांक: 29 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 05/21-3-2018-18/2016**, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एंड सोशल सेक्टर आडिट), उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट)प्रथम/द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
8. वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग- 1/2/4।

9- भाषा (उर्दू)अनुभाग-4।

10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in